

63
नी पत्र संख्या एक.टी. 64-1/72 रकम दिनांक 31 मार्च, 1980 प्रेषक मुख्य
अरण्यपाल विभाजन प्रदेशा प्रेषित समस्त अरण्यपाल व वन प्रण्डलाधिकारी हि० प्र०

विषय :- नई आरा मशीनों की आज्ञा व पंजीकरण हेतु आदेश पत्र ।

आरा मशीनों की आज्ञा व पंजीकरण रिक्टर इत्स 1971 के पैरा 14
व विभाजन प्रदेशा सेल ऑफ टिक्टर इत्स 1969 के अनुसार किया जाता है, जिसके
द्वारा पंजीकरण वन प्रण्डलाधिकारी के लो रुपये रजिस्ट्रेशन कीस लेकर करा
जाता है । पंजीकरण करते समय वन प्रण्डलाधिकारी को लेना सको है, जिसके
द्वारा आरा मशीन वालों को पूरा ब्योरा रखना पड़ता है ।

2. विभाजन प्रदेशा सरकार ने पत्र संख्या एक.टी. एक.एफ. 8-46/79
दिनांक 18-3-1980 द्वारा जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, अब निर्णय किया है कि
आगे नई आरा मशीनों की आज्ञा सम्बन्धित अरण्यपाल, सम्बन्धित वन प्रण्डला-
धिकारी की सिफारिश पर दिया करेगी । अतः इस सम्बन्ध में नई मशीनों की
आज्ञा देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाये :-

१. नई मशीनों की आज्ञा लोच समझकर व पूरी छानबीन करने के
बाद ही दी जाए क्योंकि इस प्रदेश में पहले ही बहुत अधिक
आरा मशीनें लग चुकी हैं और विभाग को इन आरा मशीनों
की गतिविधियों पर कन्ट्रोल रखना मुश्किल हो रहा है ।

२. नई आरा मशीनों को निम्नलिखित क्षेत्रों में आवश्यकता है या नहीं,
इस का निर्णय इलाके की आवश्यकता, फलों का उत्पादन व वनों
की उपलब्धता के अनुसार ही किया जाए ।

३. इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि 5 किलोमीटर के व्यास
में 2 मशीनों से अधिक को आज्ञा न दी जाये, जब तक कि
आबादी अधिक न हो ।

४. आरा मशीनों की आज्ञा केवल मोटर रोड़ के साथ ही दी जाये ।
वनों के अन्दर जो एक हों, उनमें आरा मशीन लगाने की आज्ञा
दिलकुद न दी जाये ।

५. मेहददा व गैर मेहददा वनों अन्दर किसी भी हालत में आज्ञा
न दी जाये और जहाँ तक हो सके आरा मशीन का कायदा
वनों से कुछ दूर या मोटर रोड़ के पास होना चाहिए ।

अज्ञा: 1/72

8च8 जहाँ तक वन समीप न हों, वहाँ से आरा मरानिन वानों को वनों से लकड़ी लेने का आरवासन बिल्कुल न दिया जाये ।

8उ8 फलों की पेड़ियों के लिए दायार, कैल व चील के वृक्ष न दिए जायें । जहाँ केवल कैल या चील के वृक्ष होते हैं, वहाँ केवल सोझता व जड़फट कायल या चील के वृक्ष ही फलों की पेड़ियों के दिये जाने चाहिये ।

8ज8 पंजीकरण करते समय यह शर्त लगाई जाये, कि जो आरा मरानिन वाला अनुचित व अवैध वृक्ष को कटाई करेगा, उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा और दुबारा पंजीकरण नहीं किया जायेगा ।

8अ8 आरा मरानिन का पंजीकरण किना अण्यमाल की आज्ञा के दूरे व्यक्ति के नाम नहीं बदला जाना चाहिए ।

8स.8 कोई भी आरा मरानिन नदी या खड्ड के किनारे से 100 मीटर के अन्दर नहीं लगाने दी जाये ।

3. यह दिशावर्तों पूर्ण नहीं हैं, अण्यमालों को चाहिए कि यदि इस सम्बन्ध में और दिशावर्तों की जरूरत हो तो उन को भी लागू करें ।

.....
Orders with drawn
See Page 14 (approval of
Govt. official)